नियम 83 : जीएसटी व्यवसायी से सम्बन्धित उपबंध

(1) **प्ररूप जीएसटी पीटीसी–01** में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशन के लिए या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा जो–

(i) भारत का नागरिक है;

(ii) स्वस्थ्य चित्त का व्यक्ति है;

(iii) दिवाला के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं है;

(iv) सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है।

*[और] जो किन्हीं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात् :

(क) वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या [1][केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड] और सीमा–शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के पद पर कार्य कर चुका था ; या

(ख) उसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी या कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया है;

(ग) उसने–

(i) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि, बैंककारी, जिसके अन्तर्गत उच्चतर लेखा परीक्षा या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन भी है, में डिग्री रखता हो; *या

(ii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा, जो उप–खण्ड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समतुल्य है, उत्तीर्ण की हो; या

(iii) इस प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीण की हो; या

(iv) जिसने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात् :

(क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या

(ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या

---

* यहां ''और'' शब्द राजपत्र में अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिया गया है।

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''केन्द्रीय उत्पाद शुल्क'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

* यहां ''या'' शब्द राजपत्र में अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिया गया है।

(ग) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अन्तिम परीक्षा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदक को जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित करेगा और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–02** में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा या जहां यह पाया जाता है कि आवेदक माल या सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के लिए अर्हित नहीं है वहां उसके आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) mi&fu;e ¼2½ ds v/khu fd;k x;k vH;kos'ku mlds jí fd, tkus rd fof/kekU; gksxk %

परन्तु जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं, संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर [2]**[**उप–नियम**]** (1) के [$]खंड (ग) के उपबंध लागू होते हैं, अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियत तारीख से [3]**[**तीस मास**]** की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।

(4) यदि कोई जीएसटी व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अवचार का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अवचार के विरूद्ध उसे **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–03** में कारण बताने की सूचना देने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी पीटीसी–04** में आदेश द्वारा उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् यह निर्देश दे सकेगा कि वह अब से आगे जीएसटी व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के अधीन निरर्हित होगा।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उप–नियम (4) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने विकल्प पर, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–05** में सामान्य पोर्टल पर किसी जीएसटी व्यवसायी को प्राधिकृत कर सकेगा या, किसी भी समय, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–05** में ऐसे प्राधिकार को वापस ले सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी ऐसे कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो प्राधिकार की अवधि के दौरान उक्त प्राधिकार में उपदर्शित हो।

---

[2] अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा ''उप–धारा' के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

[$] अंग्रेजी राजपत्र में ''Clause (b)'' छपा हुआ है।

[3] अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''[A]**[**अठारह मास**]**'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

A पहले अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा 'अठारह मास', ''एक वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किये गये थे।

(7) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि, ई–मेल या एसएमएस पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे विवरण के प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख तक पुष्टि के लिए किए गए अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है।

[4][(8)] कोई माल और सेवा कर व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से निम्नलिखित सभी या किन्हीं क्रियाकलापों को कर सकता है, यदि उसने निम्नलिखित को करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो,–

(क) जावक [5][.....] प्रदायों के ब्यौरे देना;

(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अंतिम विवरणी देना;

(ग) इलैक्ट्रानिक जमा खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;

(घ) प्रतिदाय के लिए दावा करना;

(ङ.) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना;

(च) ई–वे बिल जनित करने के लिए सूचना देना;

(छ) प्ररूप जीएसटी आईटीसी–04 में चालान के ब्यौरे देना;

---

4 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा उप–नियम (8) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(8)** जीएसटी व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रिया–कलापों को आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो–

(क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करना;

(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना;

(ग) इलेक्ट्रानिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;

(घ) प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करना; और

(ङ.) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना :

परन्तु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी प्रस्तुत किया गया है वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।"

5 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द ''और आवक'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

(ज) नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना; और

(झ) समझौता स्कीम के अधीन कर के संदाय या उक्त स्कीम से प्रत्याहरण की सूचना फाइल करना :

परन्तु जहां प्रदाय के दावे से संबंधित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन या जहां समझौता स्कीम के अधीन कर संदाय के लिए या ऐसी स्कीम के प्रत्याहरण के लिए कोई सूचना रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत की गई है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से पुष्टिकरण की ईप्सा की जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा और ऐसे आवेदन पर आगे की कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।**]**

(9) जीएसटी व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–

*__(क)__ किसी जीएसटी व्यवसायी को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए **प्ररूप जीएसटी पीटीसी–05** में अपनी सहमति देगा;

(ख) जीएसटी व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

(10) जीएसटी व्यवसायी–

(क) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और

(ख) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजीटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा।

(11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित जीएसटी व्यवसायी को उप–नियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा।

---

* राजपत्र में यहां ''च'' और ''छ'' छपा है।